न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—452/2011/225 (2011/00007)

1. रामगोपाल पुत्र सूज्या, जाति ब्राहमण, निवासी मालेड़ा, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. रघुनाथ पुत्र नानगा, जाति बलाई, नि0 मालेड़ा, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू, दिनांक 19.9.2011 अंतर्गत प्रकरण संख्या 30/2005.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. वकील रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 17.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 19.9.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 206 रकबा 10 बीघा ग्राम मालेड़ा, तह0 मौजमाबाद में अवस्थित है जो जरिये आवंटन के अपीलांट को खातेदारी प्राप्त हुई है जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी को भी खसरा नंबर 217/1/1 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा रामगोपाल पुत्र सूज्या उर्फ सूरजमल को जरिये अलोटमेंट खातेदारी प्राप्त हुई थी । वर्तमान में अप्रार्थी रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर काबिज काश्त है एवं खातेदार है । बरवक्त आवंटन प्रार्थी को राजकीय कारकुनानों द्वारा अलोटमेंट की गई भूमि खसरा नंबर 206 रकबा 10 बीघा में से 8 बीघा पर एवं खसरा नंबर 217/1/1 में से 2 बीघा भूमि पर जरीब चलाकर निशान कायम कर प्रार्थी को कब्जा संभला दिया था तब से आज तक प्रार्थी 10 बीघा भूमि पर खाम डोल लगाकार काबिज काश्त चला आ रहा है । खसरा नंबर 206 की शेष भूमि रकबा 2 बीघा पड़त कंटीली अनुपयोगी पानी के बहाव के कारण बरवक्त पर्चा सेटलमेंट के मौके पर पड़त चली आ रही है । प्रार्थी एवं अप्रार्थी अलोटमेंट के पश्चात् शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहे, लेकिन इसी दरमियान अप्रार्थी प्रार्थी के साथ पैमाईश को लेकर विवाद करने लग गया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने वाद संख्या 142/86 अधी0न्याया0 में अप्रार्थी को जरिये

अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने हेतु पेश किया । प्रार्थी के हक में अधी0न्याया0 द्वारा खसरा नंबर 217/1/1 रकबा 5 बीधा 15 बिस्वा वाके ग्राम मालेड़ा के तहत प्रार्थीगण द्वारा लगाई गई डोल को छोड़कर शेष आराजी हेतु वाद डिक्री किया था । अप्रार्थी ने भी एक वाद संख्या 1108/86 अधी0न्याया0 के समक्ष बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया था, जिसे अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 3 का निर्णय करते वक्त अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के कब्जे की स्वीकारोक्ति बाबत् कथन की पुष्टि की है एवं यह भी दर्ज किया है कि प्रार्थी का संपूर्ण विवादित भूमि पर कब्जा न होकर कुछ हिस्से पर नहीं है क्योंकि प्रार्थी द्वारा किसी बेदखली आदेश की मांग नहीं की गई है, जिससे इस भाग के लिये वादी/प्रार्थी का कब्जा पूर्णरूपेण साबित होने से प्रार्थी धारा 63(1)(4) के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है । प्रार्थी ने अपने हक में हुए निर्णय की पालना में वक्त पटवार हल्का द्वारा बनाई गई मौका रिपोर्ट दिनांक 28.12.1988 एवं नजरी नक्शे प्रार्थी की कब्जे की सूरत को स्पष्ट करता है । ऐसे में अप्रार्थी अपनी खातेदारी के आधार पर प्रार्थी को बेदखल करने का कतई अधिकारी नहीं है । प्रार्थी को अप्रार्थी ने दिनांक 4.3.2005 को ऐलानिया धमकी दी कि विवादित आराजियात का नामांतकरण अपने पक्ष में खुलवाने व बेदखल करूंगा इसलिये प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ है । अधी0न्याया0ने आदेश दिनांक 19.9.2011 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी/अपीलांट को खसरा नंबर 217/1/1 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा में से 2 बीघा खसरा नंबर 206 के चिपती भूमि से प्रार्थी को दावे के निर्णय तक बेदखल नहीं करने तथा 2 बीघा के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पांबद करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संख्या 142/86 में यह अंकित किया गया है कि खसरा संख्या 206 का रकबा काफी बड़ा है और उक्त खसरा संख्या की भूमि के मध्य में रेस्पो0 संख्या 1 को आवंटनशुदा 10 बीघा भूमि का कब्जा प्रदान किया गया है जिसके चारों ओर रेस्पो0 संख्या 1 ने कच्ची मिट्टी की डोल लगा रखी है जिस पर रेस्पो0 संख्या 1 काबिज काश्त है । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि रेस्पो0 संख्या 1 उसी आवंटित खसरा नंबर 206 रकबा 10 बीघा पर ही काबिज काश्त है जो संपूर्ण ही उसके द्वारा जरिये तीन पंजीकृत विक्रय पत्रों दिनांक 14.5.2007 को विक्रय कर दी गई है एवं उसके पास अब कोई शेष भमि नहीं है । उक्त समस्त तथ्य अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली पर मौजूद थे इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 को अवांछित लाभ प्रदान करने की गरज से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने वाद संख्या 142/86 में खसरा संख्या 206 रकबा 10 बीघा के चारो तरफ मिट्टी की डोल लगा कर काबिज होना बताया है इसके बावजूद भी वाद संख्या 142/86 में अंकित कथनों के विपरीत वाद संख्या 44/2005 में कथन अंकित करते हुए कतई मिथ्या कथनों पर वाद पेश किया है ऐसी स्थिति में रेस्पो0 का वाद प्रथमदृष्टया संधारण योग्य नहीं था तथा उसके साथ संलग्न प्रार्थना पत्र भी निरस्त योग्य था।

बहस में आगे कथन किया कि अधिकार अभिलेख के अनुसार अपीलांट अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 217/1/1 रकबा 5–15–00 का रिकार्डेड खातेदार दर्ज है जिससे प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में सिद्ध था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में विधिक त्रुटि कारित की है । रेस्पो0 संख्या 1 राजकीय दस्तावेज में परिवर्तन करवा कर असत्य कथन कारित कर उप पंजीयक के समक्ष एकतरफा संपूर्ण भूमि का विक्रय कर रहा है तथा ऑन ऑथ स्टेटमेंट दे रहा है वही दूसरी ओर उप पंजीयक के समक्ष तथा वाद संख्या 142/86 में अंकित कथनों के विपरीत जाकर वाद संख्या 44/2005 पेश किया है । रेस्पो0 का वाद संख्या 142/86 मं अंकित कथनों के अनुसार उसका खसरा नंबर 206 के अतिरिक्त अन्य किसी भी आराजियात पर कब्जा काश्त नहीं है एवं मान0 मण्डल की वृहद्पीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार भी विपरीत कब्जे के आधार पर उद्घोषणा खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है, न ही रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा किसी भी दसतावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध किया गया है कि उसका खसरा नंबर 206 रकबा 8 बीघा पर तथा खसरा नंबर 217/1/1 रकबा 2 बीघा पर कब्जा काश्त हो जबकि खसरा संख्या 206 रकबा 10 बीघा के विक्रय पत्र उप पंजीयक के समक्ष निष्पादित किये है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हल्का पटवारी के द्वारा बनाई गई मौका रिपोर्ट दिनांक 28.12.1998 एवं नजरी नक्शे में खसरा नंबर 217/1/1 की 2 बीघा भूमि पर प्रार्थी/रेस्पो0 का डोल लगाकर कब्जा है । पटवारी हल्का की इस रिपोर्ट को किसी भी पक्षकार द्वारा चुनोती नहीं दी गई है एवं न ही आपत्ति पेश की गई है । पक्षकारान के मूल अधिकार मूल वाद में साक्ष्य उपरांत तय होगें । वर्तमान में प्रथमदृष्टया रेस्पो0/प्रार्थी का कब्जा साबित होता है । यदि दौराने वाद रेस्पो/प्रार्थी को विवादित आराजियात से बेदखल कर दिया जाता है तो अपूर्णीय क्षति एवं असुविधा रेस्पो0 को होगी । प्रार्थी/रेस्पो0 अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलाधीन भूमि पर अपना कब्जा साबित करने में सफल रहा है । इस कारण प्रथमदृष्टया प्रकरण रेस्पो0 के पक्ष में पाये जाने से अधी0न्याया0 द्वारा सही तौर पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

6. अतः अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.9.2011 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 17.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर